अध्याय 6 : लोक अदालत

19. लोक अदालतों का आयोजन :

(1) यथास्थिति, प्रत्येक राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति या प्रत्येक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या तालुक विधिक सेवा समिति ऐसे अंतरालों और स्थानों पर और ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए तथा ऐसे क्षेत्रों के लिए जो वह ठीक समझे, लोक अदालतों का आयोजन कर सकेगी।

(2) किसी क्षेत्र के लिए आयोजित प्रत्येक लोक अदालत उस क्षेत्र के उतने :–

(क) सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों, और

(ख) अन्य व्यक्तियों, से मिलकर बनेगी जितने ऐसी लोक अदालतों का आयोजन करने वाले, यथास्थिति, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या तालुक विधिक सेवा समिति द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएँ।

(3) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा आयोजित लोक अदालतों के लिए उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों का अनुभव और अर्हताएं वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित की जाएँ।

(4) उपधारा (3) की निर्दिष्ट लोक अदालतों से भिन्न लोक अदालतों के लिए उपधारा (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों का अनुभव और अर्हताएं वे होंगी जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित की जाएँ।

(5) किसी लोक अदालत को, उस न्यायालय के, जिनके लिए लोक अदालत आयोजित की जाती है :–

(i) समक्ष लंबित किसी मालमे की बाबत्, या

(ii) उसकी अधिकारिता भीतर आने वाले, किसी ऐसे विषय की बाबत जो उसके समक्ष नहीं लाया गया है।

किसी विवाद का अवधारण करने और उसके पक्षकारों के बीच समझौता या परिनिर्धारण करने की अधिकारिता होगी।

परन्तु लोक अदालत को किसी ऐसे अपराध से संबंधित किसी मामले या विषय के बारे में कोई अधिकारिता नहीं होगी, जो किसी विधि के अधीन शमनीय नहीं है।

20. लोक अदालतों द्वारा मामलों का संज्ञान :

(1) जहाँ धारा 19 की उपधारा (5) के खंड (1) में निर्दिष्ट किसी मामले में :–

(i) उस मामले को परिनिर्धारण हेतु लोक अदालत को निर्दिष्ट करने के लिए–

(क) उसके पक्षकार सहमत हैं, या

(ख) उसका कोई पक्षकार न्यायालय को आवेदन करता है और यदि ऐसे न्यायालय को प्रथम दृष्टया समाधान हो जाता है कि ऐसे परिनिर्धारण की संभावनाएँ हैं, या

(ii) न्यायालय को समाधान हो जाता है कि वह मामला लोक अदालत द्वारा संज्ञान दिए जाने के लिए समुचित मामला है, तो न्यायालय उस मामले को लोक अदालत को निर्दिष्ट करेगा :–

परन्तु खंड (i) के उपखंड (ख) या खंड (ii) के अधीन कोई मामला लोक अदालत को ऐसे न्यायालय द्वारा पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात ही निर्दिष्ट किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन लोक अदालत का आयोजन करने वाला प्राधिकरण या समिति, धारा 19 की उपधारा (5) की खंड (ii) में निर्दिष्ट किसी मामले के किसी एक पक्षकार से ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर कि ऐसे मामले को लोक अदालत द्वारा अवधारित किया जाना आवश्यक है, ऐसे मामले को लोक अदालत की अवधारणा के लिए निर्दिष्ट कर सकेगी।

परन्तु लोक अदालत को कोई मामला अन्य पक्षकार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ही निर्दिष्ट किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(3) जहाँ कोई मामला उपधारा (1) के अधीन लोक अदालत को निर्दिष्ट किया जाता है या जहाँ उपधारा (2) के अधीन उसे कोई निर्देश किया गया है वहाँ लोक अदालत उस मामले या विषय का निपटारा करने के लिए अग्रसर होगी और पक्षकारों के बीच समझौता कराएगी या परिनिर्धारण करेगी।

(4) प्रत्येक लोक अदालत इस अधिनियम के अधीन अपने समक्ष किसी निर्देश का अवधारण करते समय पक्षकारों के बीच समझौता कराने या परिनिर्धारण करने के लिए अत्याधिक शीघ्रता से कार्य करेगी और न्याय, साम्य, ऋजुता और अन्य विधिक सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगी।

(5) जहाँ लोक अदालत द्वारा इस आधार पर कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है कि पक्षकारों के बीच कोई समझौता या परिनिर्धारण नहीं हो सका है, वहाँ उस मामले का अभिलेख उसके द्वारा, उस न्यायालय को, जिससे उपधारा (1) के अधीन निर्देश प्राप्त हुआ था, विधि के अनुसार निपटाने के लिए लौटा दिया जाएगा।

(6) जहाँ लोक अदालत द्वारा कोई अधिनिर्णय इस आधार पर नहीं किया जाता है कि पक्षकारों के बीच उपधारा (2) में निर्दिष्ट विषय में कोई समझौता या परिनिर्धारण नहीं हो सका है वहाँ वह लोक अदालत पक्षकारों को किसी न्यायालय से उपचार प्राप्त करने की सलाह देगी।

(7) जहाँ मामले का अभिलेख उपधारा (5) के अधीन न्यायालय को लौटाया जाता हे, वहाँ ऐसा न्यायालय ऐसे मामले पर उस प्रक्रम से कार्यवाही करेगा, जिस तक उपधारा (1) के अधीन ऐसा निर्देश करने के पूर्व कार्यवाही की गई थी।

21. लोक अदालत के अधिनिर्णय :

(1) लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय, यथास्थिति, सिविल न्यायालय की डिक्री या किसी अन्य न्यायालय का आदेश समझा जाएगा और जहाँ किसी लोक अदालत द्वारा धारा 20 की उपधारा (1)

के अधीन उसको निर्दिष्ट किसी मामले में समझौता कराया या परिनिर्धारण किया गया है वहाँ ऐसे मामले में संदत्त न्यायालय फीस, न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 के अधीन उपबन्धित रीति से लौटा दी जाएगी।

(2) लोक अदालत द्वारा किया गया प्रत्येक अधिनिर्णय अंतिम और विवाद के सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा तथा अधिनिर्णय के विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील नहीं होगी।

22. लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत की शक्तियाँ :

(1) लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत की, इस अधिनियम के अधीन कोई अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में, निम्नलिखित में से किसी विषय की बाबत विचारण करते समय, निहित होती है, अर्थात् :–

(क) किसी साक्षी को समन कराना, हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा कराना,

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और उसको पेश किया जाना,

(ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना,

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज अथवा ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रति की अध्यपेक्षा करना, और

(ड.) ऐसे अन्य विषय, जो विहित किए जाएँ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत को उसके समक्ष आने वाले किसी विवाद के अवधारण के लिए अपनी प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करने की अपेक्षित शक्ति होगी।

(3) लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत के समक्ष सभी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193, धारा 219 और धारा 228 के अर्थ के भीतर न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी और प्रत्येक लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत, दंड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

अध्याय 6क : मुकदमा–पूर्व सुलह और समझौता

22 क. इस अध्याय में और धारा 22 तथा धारा 23 के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, :–

(क) "**स्थायी लोक अदालत**" से धारा 22 ख की उपधारा (1) के अधीन स्थापित स्थायी लोक अदालत अभिप्रेत है,

(ख) "**लोक उपयोगी सेवा**" से अभिप्रेत है कोई, :–

(i) वायु, सड़क या जलमार्ग द्वारा यात्रियों या माल के वहन के लिए यातायात सेवा; या

(ii) डाक, तार या टेलीफोन सेवा; या

(iii) किसी स्थापना द्वारा जनता को विद्युत, प्रकाश या जल का प्रदाय; या

(iv) सार्वजनिक मल वहन या स्वच्छता प्रणाली; या

(v) अस्पताल या औषधालय सेवा; या

छत्तीसगढ़ शासन
विधि और विधायी कार्य विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)

:: **अधिसूचना** ::

रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर, 2012

क्र. /3306/21–ब/छ.ग./12 – विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (केंद्रीय अधिनियम, 1987 का सं. 39) की धारा 22–क के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जनहित में, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय VI–क के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित सेवाओं को जनोपयोगी सेवाओं के रूप में घोषित तथा सम्मिलित करती है, अर्थात :–

"(vii) बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय संस्थानों की सेवाएं,

(viii) किसी स्थापना द्वारा सामान्य जन को किसी भी प्रकार के ईंधन का प्रदाय,"

स्थायी लोक अदालतें स्थापित करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित क्षेत्र के लिए स्थापित प्रत्येक स्थायी लोक अदालत, यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण द्वारा ऐसी स्थायी लोक अदालत स्थापित करते हुए नियुक्त किए गए निम्नलिखित व्यक्तियों से मिल कर बनेगी, :–

(क) ऐसा व्यक्ति, जो जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश है या रहा है या जिला न्यायाधीश की पंक्ति से उच्चतर पंक्ति का न्यायिक पद धारण किए हुए है, स्थायी लोक अदालत का अध्यक्ष होगा, और (ख) दो अन्य ऐसे व्यक्ति, जिनके पास लोक उपयोगी सेवा का पर्याप्त अनुभव है, और जो यथास्थिति, केंद्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण की सिफारिश पर यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे,

और अध्यक्ष तथा खंड (ख) में निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएँ।

22 ग. स्थायी लोक अदालत द्वारा मामलों का संज्ञान :

(1) किसी विवाद का कोई पक्षकार, विवाद को किसी न्यायालय के समक्ष लाने से पूर्व, विवाद के निपटारे के लिए स्थायी लोक अदालत को आवेदन कर सकेगा :

परन्तु स्थायी लोक अदालत को ऐसे अपराध से, जो किसी विधि के अधीन शमनीय नहीं है, संबंधित किसी विषय के संबंध में कोई अधिकारिता नहीं होगी :

परन्तु यह और कि स्थायी लोक अदालत को ऐसे मामले में भी अधिकारिता नहीं होगी जिसमें वादग्रस्त संपत्ति का मूल्य दस लाख रूपये से अधिक है :

परन्तु यह भी कि केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय प्राधिकरण से परामर्श करके दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट दस लाख रूपये की सीमा को बढ़ा सकेगी।

(2) स्थायी लोक अदालत को उपधारा (1) के अधीन आवेदन किए जाने के पश्चात्, उस आवेदन का कोई पक्षकार उसी विवाद के लिए किसी न्यायालय की अधिकारिता का अवलंब नहीं लेगा।

(3) जहाँ किसी स्थायी लोक अदालत की उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन किया जाता है वहाँ वह :–

(क) आवेदन के प्रत्येक पक्षकार को उसके समक्ष लिखित कथन फाइल करने का निर्देश देगी जिसमें आवेदन के अधीन विवाद के तथ्यों और प्रकृति, ऐसे विवाद के मुद्दों या विवाद्यकों और, यथास्थिति, ऐसे मुद्दों या विवाद्यकों के समर्थन में या उसके विरोध में अवलंबित आधारों का कथन होगा और ऐसा पक्षकार ऐसे कथन की अनुपूर्ति में ऐसा कोई दस्तावेज या अन्य साक्ष्य दे सकेगा जिसे ऐसा

पक्षकार ऐसे तथ्यों और आधारों के सबूत में समुचित समझता है और ऐसे कथन को एक प्रति ऐसे दस्तावेज या अन्य साक्ष्य, यदि कोई हो, के साथ आवेदन के प्रत्येक पक्षकार को भेजेगी,

(ख) आवेदन के किसी पक्षकार से सुलह कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर उसके समक्ष अतिरिक्त कथन फाइल करने की अपेक्षा कर सकेगी,

(ग) आवेदन के किसी पक्षकार से, उसे प्राप्त किसी दस्तावेज या कथन को, अन्य पक्षकार को, उसका उत्तर देने के लिए समर्थ बनाने हेतु संसूचित करेगी।

(4) जब कोई कथन, अतिरिक्त कथन और उत्तर, यदि कोई हो, उपधारा (3) के अधीन स्थायी लोक अदालत के समाधानप्रद रूप में फाइल किया गया है तब वह आवेदन के पक्षकारों के बीच सुलह कार्यवाहियाँ ऐसी रीति से करेगी जिसे वह विवाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित समझे।

(5) स्थायी लोक अदालत उपधारा (4) के अधीन सुलह कार्यवाहियाँ करने के दौरान पक्षकारों को विवाद के स्वतंत्र और निष्पक्ष रीति में सौहार्द्रपूर्ण समझौते पर पहुँचने के लिए, उनके प्रयास में सहायता करेगी।

(6) आवेदन के प्रत्येक पक्षकार का यह कर्त्तव्य होगा कि वह आवेदन से संबंधित विवाद का सुलह कराने में स्थायी लोक अदालत के साथ सद्भावनापूर्वक सहयोग करे और स्थायी लोक अदालत के, उनके समक्ष साक्ष्य और अन्य संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश का अनुपालन करे।

(7) जब स्थायी लोक अदालत की पूर्वोक्त सुलह कार्यवाहियों में यह राय है कि ऐसी कार्यवाहियों में समझौते के ऐसे तत्व विद्यमान हैं जो पक्षकारों को स्वीकार्य हो सकेंगे, तब वह विवाद के संभाव्य समझौते के निबंधन विरचित कर सकेगी और संबंधित पक्षकार को उनके संप्रेक्षण के लिए देगी और यदि पक्षकार विवाद के समझौते के लिए सहमत हो जाते हैं तो वे समझौता पर हस्ताक्षर करेंगे तथा स्थायी लोक अदालत उसके निबंधानुसार अधिनिर्णय पारित करेगी और उसकी एक–एक प्रति प्रत्येक संबद्ध पक्षकार को देगी।

(8) जहाँ पक्षकार उपधारा (7) के अधीन किसी करार पर पहुंचने से असफल रहते हैं, वहाँ यदि विवाद किसी अपराध से संबंधित नहीं है तो स्थायी लोक अदालत, विवाद का विनिश्चय कर देगी।

22 घ. स्थायी लोक अदालत की प्रक्रिया :

स्थायी लोक अदालत, इस अधिनियम के अधीन सुलह कार्यवाहियाँ करते समय या विवाद का गुणागुण के आधार पर विनिश्चय करते समय नैसर्गिक न्याय, वस्तु–निष्ठता, निष्पक्षता, साम्या और न्याय के अन्य सिद्धांतों से मार्गदर्शित होगी और सिविल प्रकिया संहिता, 1908 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 से आबद्ध नहीं होगी।

22 ड. स्थायी लोक अदालत के अधिनिर्णय का अंतिम होना :

(1) इस अधिनियम के अधीन स्थायी लोक अदालत द्वारा, गुणागुण के आधार पर या समझौता करार के निबंधानुसार दिया गया प्रत्येक अधिनिर्णय अंतिम होगा और उसके सभी पक्षकारों और उनके अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों पर आबद्धकर होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन स्थायी लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जाएगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन स्थायी लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक अधिनिर्णय स्थायी लोक अदालत का गठन करने वाले व्यक्तियों के बहुमत द्वारा होगा।

(4) इस अधिनियम के अधीन स्थायी लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक अधिनिर्णय अंतिम होगा और किसी मूल वाद, आवेदन या निष्पादन कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(5) स्थायी लोक अदालत, उसके द्वारा दिए गए प्रत्येक अधिनिर्णय को स्थानीय अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय को भेज सकेगी और ऐसा सिविल न्यायालय अधिनिर्णय को इस प्रकार निष्पादित करेगा मानो यह उस न्यायालय द्वारा की गई डिक्री हो।